तारीख हुक्म	प्रकरण संख्या 47/2016 (2016/00151) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री मती दाखी दाखी D/o नाथू v/s माधु s/o नाथू वगैरावत	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/2/2020	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष आधिवक्ता उपस्थित बहस सुनी गयी। प्रार्थी आधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुऐ निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमियां पुश्तैनी व प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की पुश्तैनी व पैत्रिक सम्पतिया है तथा हम पक्षकार सगे भाई बहन है हमारे पूर्वज नाथू के पांच पुत्र, धन्ना, सोहन, हैंका नन्दा माधु और एक प्रार्थीया आमदा पुत्री दाखी है जो प्रथम कोनी की पारिस है और पुत्रो के साथ मृतक नाथू जी की सम्पतियो मे बराबर हिस्सा रखती है। मृतक नाथू जी की मृत्यु उनके पांचो पुत्रो ने उनके नाम करादी जिसमे प्रार्थीया का नाम दर्ज नही हुआ जो गलतफहमी वश से शून्य होकर प्रार्थीया पर प्रभाव हीन है प्रकरण किस्तावज मे समय लगेगा, शेष कार्यवाही को भी विपक्षी बन्धन रहन बंध बाहिरी व भूमियो को भी विपक्षी बन्धन रहन बंध बाहिरी व बन्धन नरीके से हस्तान्तरित करने पर आकाड़ अन्त भूमिया प्रार्थीया भी पैत्रिक मृत्यु होकर प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा निहित है, प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला होकर प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष मे है अगर विपक्षी भूमि बेच देगा तो प्रार्थीयो को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति का आकलन नही हो सकेगा अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। विपक्षी आधिवक्ता द्वारा बहस मे निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमियो मे आसोजी	

तारीख हुक्म	प्रकरण सं 47/2016 (2016/00151) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दाखी s/o नाथू v/s माधु s/o नाथू चुनावत	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

स्वसरा संस्कार 304, 282, 1872/289 वादी एवं विपक्षीगण भी पैत्रिक नही होकर विपक्षी सं. 2 की कृषि खुदा है जिनको भी वाद व पार्थना पत्र में शामिल कर दी जो गलत है. उक्त स्वामि मो के अलावा शेष जमिनो पर ताफेसलवार खसरा वाद के रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति का आदेश होता कोई आपत्ती नही है

मैने वादस्य पर गवन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने से पाया कि पार्थना पत्र मे वर्णित आशाजीभाल मे कुछ स्वसरा संस्कार विपक्षी द्वारा कृषि की गयी उसको भी साक्षीगणो द्वारा दिया जाना कि वो स्वसरा संस्कार प्राचीरण के पैत्रिक नही है. विपक्षीगण भी स्व अर्जित स्वामि के जबाब स्व.ड 282, 304, एव 1872/289 को छोडते हुए शेष आशाजीभाल को ताफेसलवार खसरा वाद के रेकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता न्याय हित मे

अतः प्राचीरण का आंशिक पार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी प्रतिवादी इस आशय कि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम खसरा की वर्तमाह आ.ड $\frac{1822}{262}$, $\frac{1826}{1435}$, 1836/269, 395, 1819/270, 1829/1435, 1824/262, 1831/251, $\frac{1834}{269}$, 1841/270, 1690/288, 1823/262, 1827/1435, 1830/251, 1833/269 जो प्राचीरण की पुश्तैनी स्वामि है को विपक्षीगण ताफेसलवार खसरा वाद के किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य किसी भी तरीके से हस्तान्तरित नही करे, न और शर्ति करे तथा प्राचीरण के कब्जे काश्त मे नाजायज दखलदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा प्राचीरण को उसके

तारीख हुक्म	प्रकरण सं 47/2016 (2016/00151) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दायी कार्ई D/o नाथू V/S आपु S/o नाथू चुनावत	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हिस्से से भी आराजीयात को इधर-उधर नही करे तथा प्रार्थीगण को उसके हिस्से की आराजीयात से जबरन बेदखल नही करे. राजस्व रेकार्ड में भोके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली इसी स्तर पर इसी अनुसार, निर्णित होकर बाद दाखला रजिस्टर के जमा से कम होकर मूल बाद के साथ सलंग्न हो।

26.2.2020

(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
RAS

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.02.28 16:14:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: